बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

आदेश

संख्या :— वनभूमि—68 / 2023...../ प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक.....

श्री बिपिन सिंह द्वारा किटहार जिलान्तर्गत सादपुर राजवारा मौजा के खाता संख्या—356, खेसरा संख्या—1499, थाना संख्या—153, थाना— कोढ़ा में NH-131A पूर्णियाँ—किटहार पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संबर्द्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.0195 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर इस कार्यालय के ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/BR/PetrolPump/414956/2023, दिनांक—07.08.2024 द्वारा संशर्त्त सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्रदान की गयी है:—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक—FC-861 दिनांक—04.07.2025 द्वारा स्टेज—1 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने के उपरांत विभागीय पत्रांक—3644, दिनांक—15.07.2025 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह— नोडल पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा अंतिम स्वीकृति दिये जाने हेतु विभागीय सहमित दी गयी है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (वन संरक्षण संभाग), बिहार, पटना के पत्रांक— FP/BR/PetrolPump/414956/2023, दिनांक—06.08.2025 द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के आलोक में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.0195 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर अंतिम स्वीकृति (Stage-II) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की गयी है:—

C	G IV
S.No.	Conditions
1.1	"Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged"
1.2	Compensatory afforestation: The State Forest Department shall plant 100 numbers of trees to
	maintain the green cover at the project cost. Planting site for the purpose shall be identified by
	the State Forest Department preferably in the vicinity of the project site. As far as possible, a
	mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be
	avoided.
1.3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate
1.0	from the concerned District Collector.
1.4	Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake by involving local
	community, afforestation measures in the blanks within the lease area, as well as along the roads
	outside the lease area diverted under this approval, in consultation with the concerned DFO at
	the project cost.
1.5	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per the following norms issued by
1.5	the Ministry of Road Transport and Highways and communicated vide Ministry's letter No.11-
	268/2014-FC dated-11.07.2014:-
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	(a) Fuel station should generally be a part of rest area complex having other amenities like place for parking, toilets, restaurants, rest rooms, shops etc. Proper planning should be
	done by the user agency, in advance, for construction of such complex along the highways
	so that destruction of road side forest is minimized.
	C.1 C.1 station may ided
	without disturbing the road side plantations. (c) Entire periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close
	(c) Entire periphery of the retail outlet should be lined up with tree plantation at a close
	spacing of 1.0 to 1.5 meter keeping an offset of 1.5 meter from the boundary, with light
	crown trees which will maintain greenery without compromising with the functional space
	requirement. (d) Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator
	(d) Suitable plantations should be raised by the user agency along the approach road, separator
	Island and other vacant areas in addition to the compensatory afforestation required to be
	raised as per guidelines.
1.6	The layout plan of the proposed diversion of the forest land shall not be changed without the
	prior approval of Ministry/Deptt. of Environment, Forest & Climate Change.

17 The Hear Assessment 11 41 41 11 1 1 66 11	
1.7 The User Agency shall ensure that the labourers and staff engaged in construct	tion activity do
not damage the nearby road side flora and fauna.	
1.8 The diverted forest land shall not be used for any purpose other than that specifie	ed in the project
proposal.	
1.9 The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the ex-	xistence of the
petroleum Retail Outlet and requirement of land for access road.	
1.10 The diverted forest land shall under no circumstance be transferred to any	other agencies,
department, or person without prior approval of Ministry/Deptt. of Environr	ment, Forest &
Climate Change.	
1.11 The User Agency and the concerned Divisional Forest Officer shall ensure	compliance of
provision of the Acts, Rules, Regulation, Guidelines, Hon'ble Court order(s) and	
Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, a	
the project.	as applicable to
1.12 Violation of any of these conditions will amount to violation of Van (San	rakshan Evam
Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed in (Comprehensive
Guidelines issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1	1000 and rules
framed thereunder.	1980 and rules
1.13 Any other condition that the Department of Environment, Forest & Climate	
stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and develop	pment of forest
& wildlife.	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पत्रांक—1060, दिनांक—06.08.2025 द्वारा Stage-II के शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित 0.0195 हे० वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश राज्य सरकार के स्तर से निर्गत किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—F.N.7-23/2012-FC दिनांक—24.07.2013 द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय (वन संरक्षण संभाग), बिहार, पटना के पत्रांक— FP/BR/PetrolPump/414956/2023, दिनांक—06.08.2025 द्वारा उपरोक्त वर्णित IOCL के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पहुँच पथ के निर्माण के लिए वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.0195 हे० वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :—

- 1. प्रयोक्ता एजेंसी को अंतिम स्वीकृति आदेश को समेकित रूप से स्थानीय समाचार पत्र (एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी) में अक्षरशः प्रकाशित कराना होगा।
- 2. प्रयोक्ता एजेंसी, अंतिम स्वीकृति आदेश की एक प्रति को स्थानीय निकाय के प्रधान कार्यालय पट्ट पर 30 दिनों के लिए प्रदर्शनार्थ, निकाय प्रधान को सौपना होगा।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ उक्त वर्णित 0.0195 हे० वन भूमि पर रिटेल आउटलेट खोलने के लिए पहुँच पथ के निर्माण हेतु प्रयोक्ता को अनुमित प्रदान करते हुए इस अभिलेख में दर्ज करेंगे तथा इसका सीमांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन सरकार को एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपर्युक्त अंकित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में या अपयोजित होने वाली वन भूमि पर अन्य गैर वानिकी कार्य किए जाने की स्थिति में बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को यह अधिकार होगा कि वन भूमि पर किए जाने वाले अन्य गैर वानिकी कार्य को तत्काल बंद कराते हुए तत्संगत अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई के उपरांत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग का यह आदेश रद्द करते हुए/वापस लेते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करे।

ह0 / – **(श्याम चन्द्र मंडल)** सरकार के अवर सचिव ज्ञापांक :-वनभूमि-68/2023 4422 प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक 1418/25

प्रतिलिपि:— सहायक वन महानिदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, FC डिविजन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली—110003/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची—834002/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना/वन संरक्षक, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, कटिहार/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ वन प्रमंडल, पूर्णियाँ को बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अंतिम स्वीकृति पत्र के साथ सूचनार्थ, कार्यालय के सूचना पट्ट पर

प्रदर्शनार्थ (30 दिनों तक) प्रेषित।

श्री बिपिन सिंह, पिता–श्री सुधीर प्रसाद सिंह, नन्द ग्राम जरलाही, पोस्ट–पबई, थाना–कोढ़ा, जिला–कटिहार, पिन–854104 को सूचनार्थ तथा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्यार्थ प्रेषित।

संबंधित सहायक, गार्ड फाईल में संधारण/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

विभाग, को विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

(श्याम चन्द्र मंडल) सरकार के अवर सचिव